गढमुक्तेश्वर डिपो बस स्टेशन एवं कार्यशाला परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

गढमुक्तेश्वर 0बस स्टेशन परिसर, यात्री शेड, फ्रन्ट ऑफिसेज एवं कार्यशाला परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निम्नांकित आधार पर निविदायें आमंत्रित की जाती हैः–

1 क्षेत्रफलः–गढमुक्तेश्वर डिपो की कार्यशाला का क्षेत्रफल 6519 वर्ग मीटर, सफाई दर–रूपये 1.38 प्रति वर्ग मीटर तथा बस स्टेशन का क्षेत्रफल 6772 वर्ग मीटर, सफाई दर–रूपये 2.30 प्रति वर्ग मीटर तथा इस पर निर्मित यात्री शेड एवं फ्रन्ट आफिसेज।

2 परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु तैनात सफाईकर्मीः–

क्र0सं0	बस स्टेशन	पाली	न्यूनतम सफाईकर्मी
1.	गढमुक्तेश्वर डिपो	06:00 से 14:00 बजे तक	03
		14:00 से 22:00 बजे तक	02
		22:00 से 06:00 बजे तक	01

उक्त सफाईकर्मी को सदैव स्लेटी वर्दी व नाम तथा एजेन्सी का नाम व फोन नम्बरयुक्त पट्टिका अनिवार्यतः धारण करनी होगी।

3 बिन्दु 01 मे उल्लिखित यात्री शेड, वेटिंग हाल एवं फ्रन्ट ऑफिसेज के स्थान की प्रत्येक 02 घंटे पर स्वीपिंग व मोविंग ब्रान्डेड कम्पनी के क्लीनर का प्रयोग करते हुये की जायेगी।

4 दैनिक सफाई के अतिरिक्त प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार की रात्रि में 10:00 से प्रातः 05:00 बजे के मध्य यात्री शेड, वेटिंग हॉल व फ्रन्ट आफिसेज क्षेत्र की डिटर्जेन्ट/इन्ड्रस्ट्रीयल क्लीनर से धुलाई करनी होगी।

5 यात्री शेड, वेटिंग हॉल व फ्रन्ट आफिसेज क्षेत्र की छतो में मकड़ी के जाले, स्टेशन भवनों की छतो की सफाई व ड्रेनेज व्यवस्था करना उत्तरदायित्व के अन्तर्गत होगा।

6 चयनित फर्म/ठेकेदार को यात्री शेड, वेटिंग हॉल व फ्रन्ट आफिसेज के क्षेत्रफल के अनुसर प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से प्लास्टिक डस्टबिन न्यूनतक 75 लीटर क्षमता का रखना होगा व उसकी थोड़े–थोडे समय पर सफाई करानी होगी।

7 संचालक द्वारा भुगतान सम्बन्धी अपना देयक माह की 05 तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा। संचालन द्वारा विलम्बित देयक प्रस्तुतिकरण पर देयक राशि के 1 प्रतिशत प्रति दिवस की दर से कटौती संस्तुत कर ही देयक अग्रसारित किया जायेगा।

8 उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन अथवा प्रांगण मे किसी समय कोई कूडा–करकट या गन्दगी पाये जाने पर संचालक के विरुद्ध निम्न तालिकानुसार पेनाल्टी लगायी जायेगीः–

क्र0 सं0	पेनाल्टी प्राविधान	अ	ब	स
1.	प्रथम अवसर	रू0 200/–	रू0 500/–	रू0 750/–
2.	द्वितीय अवसर	रू0 300/–	रू0 1000/–	रू0 1500/–
3.	तृतीय अवसर	रू0 500/–	रू0 1500/–	रू0 2000/–

उक्त तीनों अवसरों के उपरान्त यदि पुनरावृत्ति पायी जाती है तो 15 दिन का कारण बताओ नोटिस देते हुए संचालक की पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

9 किन्ही परिस्थितयों में यदि उसी संचालक से अवशेष कार्य अवधि में संचालन कराये जाने की स्थिति आती है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक पूर्व से दुगुनी धरोहर राशि जमा कराते हुए एक अवसर दे सकेगें किन्तु यह अनिवार्य नहीं होगा।

10 प्रथमतः उक्त के निमित्त अनुबन्ध 02 वर्ष के लिये किया जायेगा परन्तु यदि कार्य संतोषजनक नही पाया जाता है तो 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।

11 निविदादाता को रू0 10,000/–(दस हजार) प्रतिभूति राशि, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ के नाम में बैंक ड्राफ्ट बनवाकर अपने ऑफर/टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगी :–

12 बस स्टेशन पर स्थित निगम स्वामित्व के शौचालयों का ठेका अलग से दिया जायेगा।

13 बस स्टेशन पर आने वाली बसों में सफाई/डस्टिंग के निमित्त सम्बन्धित परिचालक से रू0 3/– लेकर उक्त कार्य कराये जाने हेतु संचालन द्वारा पृथक से व्यवस्था की जायेगी तथा इस निमित्त पृथक कार्मिक

Downloaded from www.upsrtc.com

लगाये जायेंगे एंव अन्यथा की दशा में निगम द्वारा भी अधिकृत कर कुलियों की भांति उक्त कार्मिक लगाये जा सकते है।

14 फर्श की यान्त्रिक सफाई एवं कार्यालयों आदि की वैक्यूम क्लीनर से तथा अन्य उपकरणों से सफाई सम्बन्धी प्रस्तावकों को वरीयता दी जायेगी।

15 फर्म/ठेकेदार को झाडू, चूना, फिनाईल, कूडा उठाने की ट्राली आदि स्वयं अपने व्यय पर वहन करनी होंगी।

16 फर्म/ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की दूर्घटना या प्राकृतिक आपदा होने पर किसी भी प्रकार का विधिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्व निगम का नही होगा अपितु इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार को होगा।

17 भूतपूर्व सैनिक संगठनो तथा लगाये जाने वाले कार्मिको की संख्या के आधार पर ही सम्बन्धित को वरीयता दी जायेगी।

18 फर्म/ठेकेदार को इस प्रकार के कार्य करने का न्यूनतम 06 माह का अनुभव होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

19 प्रस्तावकों को पैन कार्ड की प्रति प्रस्ताव के साथ नत्थी करना अनिवार्य होगा एंव भुगतान पर नियमानुसार जी0एस0टी0 कटौती की जायेगी।

20 फर्म/ठेकेदार को जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

दिनांक 04.12.2018 तक कार्यालय समय में इस कार्यालय में रूपये 236 (200फीस+36जीएसटी) जमा कर टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा यह धनराशि रिफण्डेबल नही हैं। उपरोक्ता बिन्दुओं पर सम्पूर्ण सूचना/प्रमाण पत्र/फोटो समाहित करते हुए टेण्डर फार्म पर इच्छुक प्रस्तावकों द्वारा प्रति वर्गमीटर दर का अलग-2 (बस स्टेशन एवं कार्यशाला) उल्लेख करते हुए अपनें प्रस्ताव दिनाँक 05.12.2018 को 14:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में जमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट सहित क्षेत्रीय कार्यालय में टैण्डर बॉक्स में डाले जायेगें, जो दिनाँक 05.12.2018 को ही 15:00 बजे ऑफर दाताओं के समक्ष क्षेत्रीय समिति द्वारा खोले जायेगे तथा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय समिति में निहित होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,मेरठ।

पत्रांक 3889/एम0आर0/क्षे0प्र0/जी0-सफाई ठेका/गढ/2018 दिनाँक 27.11.2018

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2 प्रधान प्रबन्धक(वाणिज्य एवं विपणन), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3 अधिशासी अभियन्ता(पश्चिम) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4 सहायक प्रबन्धक(एमआईएस) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को परिवहन निगम की वैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
6 सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
7 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
8 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/स्टेशन अधीक्षक/डिपो प्रभारी, मेरठ/सो0गेट/भैसाली/बडौत/गढ।
9 tender@upsrtc.com
10 समस्त नोटिस बोर्ड मेरठ क्षेत्र।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
मेरठ।

Downloaded from www.upsrtc.com